न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. नारायण दास लालवानी पुत्र श्री लखुमल, जाति- सिंधी,
निवासी- लालवानी गुरुनानक कॉलोनी, H.No. E-10, आबूरोड, जिला- सिरोही (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्म:- नारायण गृह उद्योग, वार्ड नं.1, तरतोली, तहसील- आबूरोड, जिला-सिरोही

2. Mamane Habibullah S/o Rasul Bhai,
Mhebadsosayati, Mohamadi Socitey, Palanpur, Banaskantha 385001
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- Sager Traders, Nr. Shimla Hotel, L, Banas Complex,
Station Road, Palanpur (Gujrat)

3. Hanif Majid Bhai Geleria,
खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक,

फर्म:- Asian Colour Co., 11/A, Ulariya Gam, Post Sanathal, Sarkhej Road
Sanand, Ahmedabad-382210

प्रकरण संख्या: 04/2020

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, - 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी नारायण दास लालवानी स्वयं एवं प्रतिवादी ममन हबीबुल्लाह स्वयं
3. इमरान हनीफ भाई गेलेरिया, अधिकृत प्रतिनिधि निर्माता फर्म Asian Colour Co.

-: निर्णय :- दिनांक 24 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह ...... आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 02.5.2019 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म नारायण गृह उद्योग, वार्ड नं.1, तरताली, तहसील- आबूराड, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति नारायण दास लालवानी पुत्र श्री लखुमल, जाति- सिंधी, निवासी- लालवानी गुरुनानक कॉलोनी, H.No. E-10, आबूरोड, जिला- सिरोही है एवं फर्म नारायण गृह उद्योग, वार्ड नं.1, तरतोली, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का उपयोग आईसलॉली बनाकर बेचने में करता है।

.....पेज दो पर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु आईसलॉली बनाने में प्रयोग आने वाले सिंथटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) 8x500 gm पैक्ड कंटेनर में से 4x500gm पैक्ड कंटेनर सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) खरीदे एवं उसकी कीमत अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए मूल पत्रावली है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S-939 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर [illegible] के हस्ताक्षर कराये एवं मैंने स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। तत्पश्चात चार नमूना कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-939 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील का [illegible] लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करने [illegible] काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफो को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 03.5.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 02.5.2019 को ही [illegible] तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सिंथेटिक फूड कलर

[illegible] तीन पर

(ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) की जाच रिपोर्ट प्राप्त हुई,-प्राप्त जाच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-939 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता नारायण दास लालवानी एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असन्तुष्ट होने की स्थिति में पुनः जाच का आवेदन फार्म [illegible] रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन नारायण दास [illegible] एवं निर्माता फर्म ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। [illegible] से संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड [illegible] ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं [illegible] की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण [illegible] जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19.2.2020 को प्रतिवादीगण नारायण [illegible] लालवानी [illegible] उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से अधिकृत [illegible] गलारिया उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 19.2.2020 को अलग-अलग लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुये। प्रतिवादी संख्या-1 (नारायण दास लालवानी) द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 02.5.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच में मिसब्राण्ड पाया गया है, वो हमनें सागर ट्रेडर्स, पालनपुर से बिल द्वारा लिया था। नमूना लेते समय बिल प्रस्तुत कर दिया था और नमूना भी पैक अवस्था में दिया था। हमारे द्वारा इसमें कुछ भी नही मिलाया गया, इसलिये मुझ इस प्रकरण से मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 (मसन हबीबुल्लाह) द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 02.5.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरोही श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड पाया गया है वह मैंने एशियन [illegible] अहमदाबाद से बिल द्वारा खरीदा था और पेकिंग अवस्था में ही आगे [illegible] मेरे द्वारा [illegible] कुछ भी नहीं मिलाया था और सप्लाई का बिल [illegible] अधिकारी को

....पेज चार पर

उपलब्ध करवा दिया था, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी
संख्या-3 के अधिकृत प्रतिनिधि इमरान हनीफ भाई गेलेरिया [illegible] प्रस्तुत लिखित जवाब
में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 02.5.2019 को [illegible] अधिकारी श्री
विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का
नमूना जांच के लिये लिया था, जो जांच के अनुसार मिथ्याछाप [illegible] है। जांच
रिपोर्ट के अनुसार Ingredients को descending order [illegible]
की क्वालिटी में किसी प्रकार की कमी [illegible] पाई गई। [illegible] गलती
दूंगा। भविष्य में इस प्रकार की गलती [illegible] हो, [illegible]
मानते हुए मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावें।

(3) प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार [illegible] में दिनांक
19.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को सुनाया गया।
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित
तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने
मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का विक्रय
करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का
उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध
है [illegible] प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या-1 व 2
तथा प्रतिवादी संख्या-3 के अधिकृत प्रतिनिधि इमरान हनीफ [illegible] द्वारा प्रस्तुत
जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर [illegible] किया [illegible] पत्रावली पर
उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं [illegible] किया गया। पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट [illegible] दिनांक 02.5.2019 को
11.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही
खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म नारायण गृह उद्योग, वार्ड संख्या-1, तरतोली,
तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म नारायण गृह उद्योग में
मालिक एवं खाद्यकारोबारकर्ता की हैसियत से नारायण दास लालवानी पुत्र श्री लखुमल,
जाति- सिंधी, निवासी- लालवानी गुरुनानक कॉलोनी, H.No. E-10 आबूरोड, जिला-
सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज,
रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का उपयोग आइसलॉली बनाकर [illegible] करता है। आवेदक
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु
आईसलॉली बनाने में प्रयोग होने वाले सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार
ब्राण्ड) के असुरक्षित होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा [illegible] अधिनियम, 2006
के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर [illegible] सूचना खाद्य
कारोबारकर्ता नारायण दास लालवानी को उपस्थित [illegible] गोविन्द राणा पुत्र श्री
लक्ष्मण राणा, निवासी- राणका, पोस्ट- आकराभट्टा, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही
के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा नारायण गृह उद्योग में अलमारी की रैक
में बिक्री हेतु मौजूद सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) के 8 पैक्ड

....पेज पांच पर

कंटेनरों (प्रत्येक 500 ग्राम) में सिंथेटिक [illegible] कलर (औरेंज, [illegible] ब्राण्ड) के 4 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 500 ग्राम) खरीदे व उसकी कीमत [illegible] रुपये आठ सौ मात्र। खाद्य कारोबारकर्ता नारायण दास [illegible] को अदा करने का रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना [illegible] बिल मूल की न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है [illegible] खाद्य [illegible] व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही का कोड एवं क्रमांक [illegible], दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर [illegible] पर खाद्य कारोबारकर्ता नारायण दास लालवानी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) के खरीद शुदा चारों नमूना कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना कंटेनरों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के हस्ताक्षरयुक्त [illegible] एवं क्रमांक [illegible] को नियमानुसार गोंद से चिपकाया [illegible] प्रत्येक नमूना [illegible] से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता नारायण दास लालवानी व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर [illegible] और [illegible] हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना [illegible] अपने कब्जे/जाप्ते में लिया व मौके पर [illegible] फर्द [illegible] खाद्य कारोबारकर्ता नारायण दास लालवानी व उक्त गवाह तथा [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म नारायण गृह उद्योग, वार्ड संख्या-1 [illegible], तहसील-आबूरोड, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता नारायण दास लालवानी से खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने [illegible] की गई है।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य [illegible] सिंथेटिक फूड कलर (औरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को [illegible] कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की [illegible] करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा [illegible] के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना [illegible] को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] ने दिनांक 03.5.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफाफा

पेज छः पर

खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का जमा करवाकर रसीद प्राप्त की ... उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं ... लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ... मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 02.5.2019 ... रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-939 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S.368/Act/2019/422 दिनांक 22.5.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म नारायण गृह उद्योग, वार्ड संख्या-1, तरतोली, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता नारायण दास लालवानी से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-939 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(1) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत दण्डनीय ... है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार List of Ingredients not listed in Descending order by there compasition. जो खाद्य सुरक्षा ... और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियमन संख्या 2.2.2.2(b) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/4988-91 दिनांक 11.6.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 (नारायण दास लालवानी) व निर्माता फर्म Asian Colour Co. को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 (नारायण दास लालवानी) की उक्त फर्म नारायण गृह उद्योग द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) को फर्म सागर ट्रेडर्स, Nr. Shimla Hotel, L. Banas Complex, Station Road, Palanpur (Gujrat) से बिल नम्बर 10 दिनांक 02.5.2019 के द्वारा क्रय किया गया था, जो कि प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म सागर ट्रेडर्स, Nr. Shimla Hotel, L. Banas Complex, Station Road, Palanpur (Gujrat) द्वारा उक्त फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) को इनवॉइस नम्बर 263 दिनांक 02.5.2019 के द्वारा फर्म Asian Colour Co., 11/A, Ulariya Gam, Post Sanathal, Sarkhej Road Sanand, Ahmedabad-382210 से क्रय किया गया था, जो कि उक्त सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माता फर्म Asian Colour Co., 11/A, Ulariya Gam, Post Sanathal, Sarkhej Road Sanand, Ahmedabad-382210 ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू स्टार ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52

शेष आगे पर

क तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रका, मिथ्याछाप [illegible] खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज रेड)(ब्लू [illegible] ब्राण्ड) के निर्माण [illegible] एवं विक्रय हेतु निर्माता फर्म Asian Colour Co., 11/A, Ulariya Gam, Post Sanathal, Sarkhej Road Sanand, Ahmedabad-382210 ही मुख्य रुप से दोषी एवं उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत [illegible] की अधिसूचना क्रमांक प 1(2)आर्थिक/क-4/08 दिनांक [illegible] 2012 के द्वारा [illegible] का प्रयोग करते हुए खाद्य [illegible] एवं मानक अधिनियम, 2006 का [illegible] खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड कलर (ऑरेंज, रेड)(ब्लू [illegible] ब्राण्ड) की निर्माता [illegible] Colour Co., 11/A, Ulariya Gam, Post Sanathal, Sarkhej Road [illegible] Ahmedabad-382210 पर राशि रुपये 20,000/- [illegible] शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। [illegible] Ulariya Gam, Post Sanathal, Sarkhej Road Sanand [illegible] 382210 के प्रोपराईटर हनीफ मजीद भाई को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Asian Colour Co., 11/A, Ulariya Gam, Post Sanathal, Sarkhej Road Sanand, Ahmedabad-382210 पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवायें। निर्णय सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 18:02:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: